



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941

No. 317]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/JYAISTHA 6, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2019

**सा.का.नि. 378 (अ).—** केन्द्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 में नियम 3 में उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

[फा.सं.30/68/2018-दिवाला]

जानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल नियम संख्यांक सा.का.नि. 831(अ), तारीख 29 अगस्त, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 153(अ) तारीख 09 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 1083(अ), तारीख 2 नवम्बर, 2018, सा.का.नि. 41(अ), 18 जनवरी, 2019 और सा.का.नि. 168(अ) तारीख 26 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2019

**G.S.R. 378(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 239, read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Third Amendment Rules, 2019.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, in rule 3, sub-rule (2) shall be omitted.

[F. No. 30/68/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

**Note:** The principal rules were published *vide* number G.S.R. 831(E), dated the 29th August, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 9th February, 2018, G.S.R. 1083(E), dated the 2nd November, 2018, G.S.R. 41(E), dated the 18th January, 2019 and G.S.R.168(E), dated the 26th February, 2019.